



कार्यालय :- सतीश वसुनिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया (म.प्र.)

क्रमांक: 670/2025

दतिया दिनांक:- 28.11.2025

// रिमांड ड्यूटी आदेश //

मैं सतीश वसुनिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दतिया में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को माह दिसम्बर 2025 के सार्वजनिक अवकाश में तालिका अनुसार रिमांड ड्यूटी व अत्यावश्यक कार्य हेतु अधिकृत किया जाना प्रस्तावित किया जाता है, जो आदेशानुसार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत प्रभावशील होगा :-

जिला न्यायालय मुख्यालय दतिया

क्रं	न्यायाधीश का नाम	दिसम्बर-2025 06, 07, 14, 20, 21, 25, 28, कुल 07
1	श्रीमती संध्या मिश्रा	20
2	श्री विजिताश्व पुष्कर	21
3	श्रीमती ज्योति कुवाल जे.एम.एफ.सी.	25, 28
4	सुश्री स्वप्निल वर्मा जे.एम.एफ.सी.	07
5	सुश्री श्रीति अतुलकर जे.एम.एफ.सी.	06, 14

न्यायालय सेवदा जिला दतिया

क्रं	न्यायाधीश का नाम	दिसम्बर-2025 06, 07, 14, 20, 21, 25, 28, कुल 07
1	श्रीमती आरती रतोनिया जे.एम.एफ.सी.	14, 28
2	श्री ध्रुव जाखड, जे.एम.एफ.सी.	6, 7
3	श्री वेदांत दीक्षित जे.एम.एफ.सी.	20, 21, 25

न्यायालय भाण्डेर जिला दतिया

क्रं	न्यायाधीश का नाम	दिसम्बर-2025 06, 07, 14, 20, 21, 28, कुल 06
1	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, जे.एम.एफ.सी.	20, 21
2	श्रीमती दीक्षा तनेजा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी.	06, 07, 14
3	श्री विशद गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	25, 28

आवश्यक निर्देश

1. रिमाण्ड ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने न्यायालयीन स्टाफ सहित, शाम 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।
2. यदि उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई शासकीय अवकाश घोषित होता है, तो उस दिन रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य जिला **मुख्यालय दतिया** में माह **दिसम्बर 2025** में **सुश्री श्रीति अतुलकर जेएमएफसी** द्वारा एवं उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में **श्री ज्योति कुआल जेएमएफसी** द्वारा संपादित की जावेगी एवं **सेवढा** में **श्रीमति आरती रतौनिया जेएमएफसी** द्वारा एवं उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में **श्री ध्रुव जाखड़ जेएमएफसी** द्वारा संपादित की जावेगी एवं **भाण्डेर** में **श्री विशद गुप्ता, जेएमएफसी** द्वारा एवं उक्त अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में **श्रीमती दीक्षा तनेजा अग्निहोत्री, जेएमएफसी** द्वारा संपादित की जावेगी।
3. यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश माननीय उच्च न्यायालय अथवा शासन द्वारा निरस्त किया जाता है तो उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त मानी जायेगी।
4. यदि किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण/प्रमोशन होता है तो उनके स्थान पर आने वाले न्यायिक अधिकारी, पूर्व अधिकारी की भांति उक्त कार्य संपादित करेंगे। यदि स्थानांतरण/प्रमोशन होने वाले न्यायिक अधिकारी के स्थान पर कोई अधिकारी नहीं आता है तो कंडिका 2 में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।
5. रिमाण्ड ड्यूटी अवधि में यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वे उस स्थापना पर पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादन हेतु आपसी समायोजन/लिखित सहमति से मुख्यालय से छोड़ेंगे और इसकी सूचना आवश्यक रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया को देंगे।
6. यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी शामिल करते हुए अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में जाते हैं तो वे उसी स्थापना पर पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से रिमाण्ड ड्यूटी करने की सहमति व स्वीकृति लेकर आवेदन पत्र पेश करेंगे।
7. चिकित्सीय अवकाश पर जाने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य उस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जिनके पास उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रथम प्रभार कार्य विभाजन पत्रक में वर्णित है।
8. सेवढा एवं भाण्डेर न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण के अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर रहने पर रिमाण्ड हेतु मामले जिला मुख्यालय दतिया पर रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

9. रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नियोजित दिनांक को संबंधित न्यायिक अधिकारी को किसी आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया को पूर्व लिखित सूचना दी जाकर स्थापना पर पदस्थ अन्य न्यायिक अधिकारी की सहमति से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकती है।
10. उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रभावशील होगा।

(सतीश वसुनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-दतिया (म.प्र.)
28.11.2025

अनुमोदित

प्रधान जिला न्यायाधीश
जिला-दतिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक /2025
प्रतिलिपि:-

दतिया दिनांक:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दतिया (म.प्र.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक दतिया की ओर सूचनार्थ।
3. न्यायालय - जे.एफ.एफ.सी. दतिया/सेवड़ा/भाण्डेर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
4. जिला अभियोजन अधिकारी दतिया (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी आरक्षी केन्द्र की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अध्यक्ष/सचिव बार एसोसियेशन दतिया, सेवड़ा एवं भाण्डेर की ओर सूचनार्थ।
7. सांख्यिकी अनुभाग, दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय दतिया की ओर कंडिका 2 लगायत 7 में वर्णित अधिकारीगण, समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण व अनुभागों को ई-मेल किए जाने हेतु।

(सतीश वसुनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-दतिया (म.प्र.)
28.11.2025